

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ ज्येष्ठ 26, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 61  
No. 107] DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/ JYAISTHA 26, 1938 [N.C.T.D. No. 61

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2016

सं. फा. 16(585)/श.वि./जल/2016/970.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 13.2.2015 के आदर्शों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 11.5.2015 के पत्र सं. 3/24(2)/2015—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 29.8.2003 की अधिसूचना संख्या फा. 16(388)/श.वि./जल/2003/7913 द्वारा अधिसूचित निदेशक (शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में निदेशक (शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड निदेशक (शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के पद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
  - (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा।

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव.**—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	निदेशक (शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण)
2.	पदों की संख्या	:	01 (2016) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "क"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन समूह-3 में 15600-39100/-रुपये (ग्रेड पे 7600/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	:	<p><b>पदोन्नति:—</b> ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 6600/-रुपये ग्रेड पे सहित 15600-39100/-रुपये, पे बैंड-3 के वेतनमान में मुख्य जल विश्लेषक तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले।</p> <p><b>जिसके न होने पर</b> मुख्य जल विश्लेषक के ग्रेड में ग्यारह वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा सहित मुख्य जल विश्लेषक तथा पे बैंड-2 में 9300-34800 रुपये, 4800/- रुपये ग्रेड पे सहित सहायक मुख्य जल विश्लेषक, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा मुख्य जल विश्लेषक के ग्रेड में होनी चाहिए तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले</p> <p><b>टीप:—</b> जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>टीप:—</b> पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू</p>

		<p>की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</b></p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ / /मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्धसरकारी/सांविधिक संगठन/स्वायत्त निकाय/नगर निगमों के निम्नलिखित अधिकारी:-</p> <p>क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(2) पे बैंड-3 के वेतनमान में 15,600-39,100 रु., ग्रेड पे 6600/-रुपये सहित नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:-</p> <p><b>अनिवार्य</b></p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से रसायन/जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/प्राणी विज्ञान में एम एस सी</p> <p>(2) जल शोधन अथवा सिवेज निपटान में आठ वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से रसायन/जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/प्राणी विज्ञान में डॉक्टरेट</p> <p>टीप : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p><b>टीप:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टीप:</b> प्रतिनियुक्ति/समावेशन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहाँ पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहाँ ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: <p>“क” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य (प्रशा.), दिल्ली जल बोर्ड-सदस्य</li> <li>3. सदस्य (जल), दिल्ली जल बोर्ड- सदस्य</li> </ol>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: <p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 9th June, 2016

**F. No. 16(585)/UD/W/2016/970.**—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated the 13<sup>th</sup> February, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(2)/2015-RR dated the 11<sup>th</sup> May.2015 and in supersession of the Director (Treatment & Quality Control) recruitment and promotion regulations 2002 notified vide notification No. F. 16(388)/UD/W/2003/7913 dated 29<sup>th</sup> August, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Director (Treatment and Quality Control) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement.**—These Regulations may be called the Director (Treatment and Quality Control) in Delhi Jal Board Recruitment Regulations, 2016.
2. **Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and pay band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age, limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person –
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who having a spouse living, has entered or into contracted marriage with any person.

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing. exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to Relax.**—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rule with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post.	No. of Post.	Classification.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale.	Whether selection or non-Selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Director (Treatment & Quality Control).	1 (2015) Subject to variation dependent on workload.	Category 'A'.	PB-3 Rs. 15,600-39,100 (Grade pay Rs. 7600/-)	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
10.	11.	12.	13.
By Promotion failing which by deputation including short term contract.	<p><b><u>Promotion:</u></b></p> <p>Chief Water Analyst in PB- 3, Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs. 6600/- with Five years' regular service in the grade and have undergone one week's training from Delhi Jal Board Training Institute.</p> <p><b><u>Failing which,</u></b></p> <p>Chief Water Analyst with Eleven years' combined regular service in the grades of Chief Water Analyst and Assistant Chief Water Analyst in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4800/- out of which atleast three years regular service should be in the grade of Chief Water Analyst and have undergone one week's training from Delhi Jal Board Training Institute.</p> <p><b><u>Note 1 :-</u></b></p> <p>Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b><u>Note 2:-</u></b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p><b><u>Deputation (Including Short Term Contract):-</u></b></p> <p>Officers under the Central/State Government/Union Territories</p>	<p><b>Category 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member UPSC -Chairman</li> <li>2. Chief Executive Officer/Member (Admn.), -Member</li> <li>3. Member (Water) –Member</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

	<p>Administrations/Public Sector Units/ Recognized Research Institutions/Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations/Municipal Corporations,-</p> <p>A)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; OR</p> <p>(ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-3 Rs. 15,600-39,100 with Grade pay of Rs. 6600/- or equivalent in the parent cadre/department; AND</p> <p>(B) Possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p><b><u>Essential</u></b></p> <p>(i) MSc in Chemistry/Bio-Chemistry/MicroBiology/BacteriologyBio-Technology/Zoology from a recognized University/Institute.</p> <p>(ii) Eight (8) Year's experience in water treatment or sewage disposal.</p> <p><b><u>Desirable:-</u></b></p> <p>Doctorate in Chemistry/Bio-Chemistry/ Micro-Biology/Bacteriology/Bio-Technology/Zoology from a recognized University/Institute.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC) Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p><b>Note :</b> For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has</p>		
--	---	--	--

	been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	---	--	--

By Order and in the Name of  
Government of National Capital Territory of Delhi,  
R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)